भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1576

जिसका उत्तर 31 जुलाई, 2024 को दिया जाना है

ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर की रिपोर्ट

1576. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि ग्लोबल एनर्जी मॉनीटर की रिपोर्ट में यह दर्शाया गया है कि हमारी कोयला खदानें कोयले की खोज में अपनी क्षमता का केवल 2/3 उपयोग कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि पिछले वर्ष 285 ताप विद्युत संयंत्रों में से 100 में कोयले की 25 प्रतिशत से अधिक की कमी देखी गई जिसके कारण अनेक राज्यों में विद्युत की कमी हो गई और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्षमता संबंधी उन बाधाओं का ब्यौरा क्या है जिनकी सरकार ने पिछले वर्ष पहचान की थी और चालू ग्रीष्म ऋतु में इसे दूर करने के लिए क्या कार्रवाई शुरू की थी; और

(ङ) सरकार विद्युत संयंत्रों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 10 प्रतिशत कोयले का आयात करने के अपने निर्णय को किस प्रकार न्यायोचित ठहराती है जबकि हमारे पास पर्याप्त भंडार हैं?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख) : कोयला खानों को अनुमोदित खनन योजना के अनुसार प्रचालित किया जाता है और कोयला उत्पादन की निगरानी उस विशेष वर्ष के लिए विशिष्ट रूप से प्री-पीक रेटेड क्षमता (पीआरसी) प्राप्ति चरण में और खान बंद होने से पहले टेपरिंग के दौरान खनन योजना में दिए गए स्तर के अनुसार की जाती है। सभी कोयला खानें अपनी खनन योजनाओं के अनुसार

इष्टतम क्षमता पर चल रही हैं। पिछले 5 वर्षों के औसत पर विचार करते हुए, सीआईएल की समग्र प्रणाली क्षमता उपयोग लगभग 80% है। एससीसीएल का क्षमता उपयोग लगभग 82-90% रहा है और एनएलसीआईएल का क्षमता उपयोग खान योजना के अनुसार लगभग 85%-100% रहा है। किसी खान के उत्पादन की समय से पहले पीआरसी से तुलना करना, जबकि खान अभी भी पीआरसी चरण में है, यह मानने में भ्रमित करता है कि क्षमता का कम उपयोग हो रहा है। इस प्रकार, ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर (जीईएम) की संदर्भित रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता।

(ग) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) 168 घरेलू कोयला आधारित (डीसीबी) संयंत्रों और 17 आयातित कोयला आधारित (आईसीबी) संयंत्रों की निगरानी करता है। डीसीबी संयंत्रों के पास उपलब्ध कोयला भंडार की निगरानी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा दैनिक आधार पर की जाती है। दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार यह लगभग 34.6 मिलियन टन (13 दिनों के लिए पर्याप्त) था, जो दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार बढ़कर लगभग 47.8 मि.ट. (18 दिनों के लिए पर्याप्त) हो गया।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, डीसीबी विद्युत संयंत्र को घरेलू और आयातित कोयला क्रमशः लगभग 798.6 मि.ट. और 23.9 मि.ट. प्राप्त हुआ तथा घरेलू तथा आयातित कोयले की खपत क्रमशः लगभग 783.6 मि.ट. और 24.2 मि.ट. हुई। डीसीबी के किसी भी संयंत्र में कोयले की कमी नहीं देखी गई।

(घ) : वित्त वर्ष 2023-24 में, वित्त वर्ष 2022-23 में 877.369 मि.ट. की तुलना में 10.9% की वृद्धि के साथ कोयला प्रेषण 973.015 मि.ट. (अनंतिम) था। वित्त वर्ष 2023-24 में, वित्त वर्ष 2022-23 में 744.6 मि.ट. की तुलना में 8.4% की वृद्धि के साथ विद्युत क्षेत्र को आपूर्ति किया गया कोयला 807.2 मि.ट. था, और दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार टीपीपी में समापन भंडार 47.78 मि.ट. था। वर्तमान वित्त वर्ष 2024-25 (जून तक) में, पिछले वर्ष की इसी अवधि में 200.99 मि.ट. (अनंतिम) की तुलना में 6.88% की वृद्धि के साथ विद्युत क्षेत्र को 214.82 मि.ट. (अनंतिम) कोयले की आपूर्ति की गई है। इस प्रकार, कोयले की आपूर्ति में कोई कमी नहीं हुई है।

(ङ.) : वर्तमान आयात नीति के अनुसार, कोयले को ओपन जनरल लाइसेंस (ओजीएल) के अंतर्गत रखा गया है और उपभोक्ता लागू शुल्क के भुगतान पर अपने संविदात्मक मूल्यों के अनुसार अपनी पसंद के स्रोत से कोयला आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं।

विद्युत मांग को पूरा करने और देश भर में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा घरेलू कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों में पर्याप्त कोयला भंडार बनाए रखने के लिए, विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 27.06.2024 को एडवाइजरी जारी की है, जिसमें दिनांक 04.03.2024 को जारी की गई एडवाइजरी को दिनांक 15.10.2024 तक बढ़ाने का निर्देश दिया गया है।

****